

भारतीय नैर न्यायिक

NOTARIAL

NOTARIAL

दस
रुपये


TEN
RUPEES

₹.10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL



DEHRA DUN, UTTARAKHAND

13AA 742857

उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग आफिसर
के सम्मुख प्रारूप-26 के साथ
प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र
के साथ स्टाम्प पेपर संलग्न है।



जय नारायण

31

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



65 गडरपुर

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं जरनल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी सरदार सयाल सिंह आयु 37 वर्ष

जो क.नं-12/14 शिवम-डिवाडे-4 गडरपुर, U.S.N. का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1043/06, 1094/06
- (II) पुलिस थाना (थाने) गडरपुर जिला (जिले) उत्तराखण्ड राज्य उत्तराखण्ड
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 147, 148, 332, 325, 504, 506 IPC. 7 Cr.L.A. Act
- (IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई C.M. कट्टा P.W. 1 A.M. कट्टा
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था 2/01/2009 एवं 15/12/2008
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नहीं
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं नहीं

स्थान:- गडरपुर

जरनल सिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख:- 12/01/2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वात्म्य ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है। स्थान पर आज तारीख 12/01/2012 को सत्यापित किया।

Ching
गडरपुर

जरनल सिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर